CNR No.-UPFR010026942026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।
उपस्थितः नीरज कुमार, एच०जे०एस० आई०डी०नं०यू०पी० 1907
जमानत प्रार्थनापत्र सं०–777/2026

बिमलेश उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र रामसनेही निवासी भूलनपुर चिरपुरा थाना कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम
उ०प्र०राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–180/2026
धारा–191(2), 115(2), 352, 105 बी०एन०एस०
थाना–कमालगंज।
जनपद–फर्रुखाबाद।

दिनांकः 06.07.2026

1. प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त बिमलेश की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार सर्वेश कुमार पुत्र रामसनेही का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इससे पूर्व कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो प्रस्तुत किया गया, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। उक्त प्रकरण से संबंधित कोई अन्य प्रार्थनापत्र भी माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा इस तथ्य का विरोध नहीं किया गया।

3. अभियोजन का केस है कि वादी संतोष कुमार द्वारा थाना कमालगंज में दिनांक 22.06.2026 को लिखित सूचना दी गयी कि वादी पांच भाई था। दिनांक 18.06.2026 को समय करीब सुबह 7.30 बजे वादी के घर पर गांव के रहने वाले विमलेश, शिवनरायण उर्फ गटिया आये और वादी के भाई प्रवेश से खेत की मूंगफली खुदवाने के लिए प्रवेश को मोटरसाइकिल से लेकर चले गये। वादी के भाई के पास मक्का बेचे हुए दो तीन हजार रुपये भी थे उपरोक्त लोग वादी के भाई को ठिगनियां ताड़ों के पास लेकर गये और प्रवेश के साथ विमलेश, शिवनरायण उर्फ गटिया जोकि गांव के देशी शराब ठेका से देशी शराब के पौआ लिए और वापस खेतों के पास आ गये जहां पर कृष्ण कुमार उर्फ केके, अनुज, देवेन्द्र के साथ बैठकर शराब पी और उपरोक्त सभी ने शराब के नशे में वादी के भाई को गाली गलौज व मारपीट की तथा विमलेश ने वादी के भाई के नाक, मुंह पर घूंसा मार दिया और मक्के के खेत में धक्का मारकर वहीं छोडकर, वादी के भाई की मोटरसाइकिल का स्विच

Digitally signed by NEERAJ KUMAR
Date: 2026.07.06 16:57:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

काटकर मोटरसाइकिल चालू करके वादी के घर पर खडी करने के लिए विमलेश, अनुज, देवेन्द्र आए। जब वादी ने तथा अन्य भाईयों व परिवारीजन द्वारा उपरोक्त लोगों से पूछा गया कि प्रवेश कहां है तो उपरोक्त लोगों ने कोई सही जबाव न देते हुए कहा कि हम लोगों को कोई पता नहीं शराब पीकर कहीं पड़ा होगा या नोएडा बगैरा चला गया होगा और वह वापस नहीं आएगा यह कहकर उपरोक्त लोग चले गये। बाद में देवेन्द्र द्वारा उपरोक्त घटनाक्रम के बारे में बताया गया था लेकिन भाई प्रवेश कहां है, इसके बारे में देवेन्द्र द्वारा भी नहीं बताया गया जिसके बाद वादी ने तथा परिवारीजन तथा गांव के लोगों ने प्रवेश की रेलवे ट्रैक,बाग मक्का के खेत तथा रिश्तेदारियों में फोन कर जानकारी की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली तथा लगातार खोजबीन करते रहे। दिनांक 20.06.2026 को समय सुबह करीब 7 बजे राहगीरो से पता चला कि मक्के के खेत में बदबू आ रही है। राहगीरों की बाते सुनकर वादी व परिवारीजन मक्के के खेत के पास गये और देखा कि भाई प्रवेश मृत अवस्था में पड़ा हुआ है तब वादी बेहोश हो गया और गांव के लोग तथा आने जाने वाले राहगीरों ने भी देखा और वादी के मुंह पर पानी मारा जिसके बाद वादी को होश आया तब वादी ने अपने घर के अन्य लोगों को फोन कर सूचना दी, भीड़ एकत्र हो गयी फिर वादी ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस आयी और पंचायतनामा भरा गया तथा लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गयी, अनुरोध किया कि रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज पर दिनांक 22.06.2026 को 23.25 बजे अप०सं०–180/2026 अंतर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 105 बी०एन०एस० में आवेदक/अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना जारी है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी/प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः यह तर्क दिया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त निर्दोष है तथा वह दिनांक 24.06.2026 से जेल मे निरुद्ध है। कथित घटना की रिपोर्ट काफी विलंब से करीब 04 दिन बाद मनगढंत कहानी बनाकर लिखायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है और वादी भी मौके का या किन्हीं अन्य तथ्यों का साक्षी नहीं है। मृतक शराब का आदी था और अधिक शराब के नशे में उल्टा जमीन पर गिर जाने से नाक बंद होने से श्वास रुकने से अज्ञात कारणों से मौत हुई। मृतक की लाश मिलने के दो दिन बाद वादी ने प्राथमिकी दर्ज करायी जो संदेहजनक है। आवेदक/ अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अनुरोध किया कि जमानत पर रिहा किया जाए।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तथ्य रखा गया कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियुक्त द्वारा वादी के भाई मृतक प्रवेश के साथ शराब पीकर गाली गलौज व नाक, मुंह में घूसों से मारपीट की गयी तथा धक्का देकर खेत में गिरा कर छोड़कर भाग आया जिस कारण मृतक की

मृत्यु हो गयी। अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, अनुरोध किया कि जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

7. केस डायरी पर विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य में पंचान बृजमोहन द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि उसका भाई प्रवेश शराब व ताड़ी पी लेता था दिनांक 18.06.2026 को सुबह के समय दिन में उसके भाई ने शराब तथा उसके द्वारा ताड़ी भी पी गयी थी। इसी प्रकार प्रवीन व संदीप द्वारा भी विवेचक को ऐसा ही बयान दिया गया है। केस डायरी के पर्चा नं० 4 पर गवाह सुशील कुमार व बादाम सिंह द्वारा दिनांक 18.06.2026 को मृतक द्वारा शराब व ताड़ी पीना बताया गया है तथा यह भी कहा गया है कि हो सकता है मृतक द्वारा अत्यधिक शराब व ताड़ी पीने से उसका गला सूख गया हो जिससे उसकी मृत्यु हो गयी हो। केस डायरी पर विद्यमान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पोस्टमार्टमकर्ता द्वारा मृतक को मात्र तीन कन्टयूजन की चोटें नाक के ऊपर, ऊपरी होंठ के बीचोबीच व ठोड़ी के मध्य नॉन वाइटल भाग पर आना बतायी गयी है तथा मृतक की मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका है और विसरा संरक्षित किया गया है। अभियुक्त/आवेदक दिनांक 24.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त/आवेदक का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त की जमानत हेतु आधार पर्याप्त है, तदनुसार जमानत प्रा०पत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त बिमलेश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है और आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु० 1,00,000/–(एक लाख रुपये) का निजी बंधपत्र व समान राशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–06.07.2026

(**नीरज कुमार**)
आई०डी०नं०यू०पी० 1907
सेशन न्यायाधीश
फर्रुखाबाद।